राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :– एफ.4(ई) उ–1403 / लिंक नं.–10409 / 2013 / अलेसे–III/5122 दिनांक :– 10.02.2020

कार्यालय आदेश

श्री उज्जवल कुमार,कनिष्ठ लेखाकार को कोषाधिकारी बांसवाडा के पत्र क्रमांक 06 दिंनाक 04.01.2020 के आवेदन अनुसार माह फरवरी 2020 में दिनांक 21.02.2020 से 26.02.2020 तक विदेश भ्रमण हेतु (थाईलैंड) जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है।

1. वह अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात् ही विदेश यात्रा पर प्रस्थान करेगे।
2. वह विदेश यात्रा पर प्रस्थान करने से पूर्व इस विभाग एवं संबंधित कार्यालय को विदेश प्रवास में ठहरने का पूर्ण पता मय टेलीफोन/ फैक्स न. आदि सूचित करेगे।
3. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में स्वीकृत अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि स्वीकार नहीं होगी।
4. वह विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय / विदेश सेवा ग्रहण नहीं करेगे।
5. वह विदेश यात्रा के दौरान राजकीय अभिलेखों / सूचना की गोपनीयता भंग नही करेगे।
6. वह विदेश यात्रा में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेगे।
7. उनके द्वारा विदेश से भेजा हुआ त्यागपत्र स्वीकृत नही किया जावेगा।
8. विदेश यात्रा हेतु अथवा विदेश यात्रा के दौरान राज्य सरकार द्वारा / के माध्यम से कोई व्यय / विदेश विनिमय नहीं किया जावेगा।
9. वह विदेश से लौटकर इस विभाग को सूचित करेगे।
10. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशा की उनके द्वारा पूर्ण पालना की जावेगी।
11. उक्त स्वीकृति उक्त दिनों के लिए ही मान्य होगी।

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :– एफ.4(ई) उ–1403 / लिंक नं.–10409 / 2013 / अलेसे–III/5122 दिनांक :– 10-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. कार्यालय कोषाधिकारी बांसवाडा राज. को उनके पत्र कमांक 06 दिंनाक 01.04.2020 के कम में।
2. उप निदेशक,(एसीपी) कम्प्यूटर में अपलोड हेतु।
3. श्री उज्जवल कुमार,कनिष्ठ लेखाकार,कोषाधिकारी बांसवाडा राज.।

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–III)